



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102020-222330
CG-DL-E-09102020-222330

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3113]
No. 3113]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 9, 2020/आश्विन 17, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 9, 2020/ASVINA 17, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2020

का.आ 3505(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचनाएं संख्या का.आ. 341(अ) तारीख 09.01.2019 एवं का.आ. 1800(अ) तारीख 20.05.2019 जो क्रमशः भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 17.01.2019 एवं 23.05.2019 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उन अधिसूचनाओं से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पश्चिम गोदावरी जिला में ओ एन जी सी बंदुमिल्ली से उल्लंपररू टी ओ पी तक पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है ;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची					
गेल (इंडिया) लिमिटेड					
ओएनजीसी बंदुमिल्ली से उल्लम्परु टीओपी तक पैप लैन					
	जिला	मैडल	गांव	सर्वे न. दृसाब डिविजन न.	उ.का.अ.के. लिए अर्जित कि जाने वालि भुमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
1	पश्चिम गोदावरि	भीमावरम	ताडेरु	89/3 भाग	0.1942
2				87/ए भाग	0.0607
3				348 भाग	0.5989
4				333/2 भाग	0.1255
5				336 भाग	0.6880
6				305	0.3601
				कुल	2.0274
कुल					2.0274

[फा. सं. एल-14014/7/2019-जीपी-II]

राज किशोर, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2020

S.O. 3505(E).—Whereas by notification of Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas numbers S.O. No. 341(E) dated 09.01.2019 and S.O. No. 1800(E) dated 20.05.2019 issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated 17.01.2019 and 23.05.2019 respectively, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to those notifications for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas from ONGC Bantumilli to Ullamparru TOP in West Godavari District in the State of Andhra Pradesh by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disposed of by the Competent Authority;

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted its report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE					
GAIL (India) Limited					
GAS PIPE LINE FROM ONGC- BANTUMILLI TO ULLAMPARRU TOP					
Sl.No	District	Mandal	Village	Survey No.	Area to be acquired for ROU (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
1	West Godavari	Bhimavaram	Taderu	89/3 PT	0.1942
2				87/A PT	0.0607
3				348 PT	0.5989
4				333/2 PT	0.1255
5				336 PT	0.6880
6				305	0.3601
				Total	2.0274
Grand Total					2.0274

[F. No. L-14014/7/2019-GP-II]

RAJ KISHORE, Under Secy.